प्रेस नोट थाना सदर बाजार

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य 28.04.2025

थाना सदर बाजार पुलिस व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम द्वारा किया गया सराहनीय कार्य

"थाना सदर बाजार पुलिस व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम द्वारा स्वयं को माननीय मुख्यमन्त्री जी उत्तर प्रदेश शासन का व्यवस्था अधिकारी(लोक सेवक)/मीडिया प्रभारी बताकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक के सीयूजी मोबाइल नम्बर पर फोन करके अनैतिक दबाब बनाने वाले व धोखाधडी कर अपने आप को लोक सेवक का प्रतिरुपण करने का अपराध करने वाले अभियुक्त जो मु0अ0स0 238/2025 धारा 204/221/319(2)/318(4) बीएनएस मे प्रकाश मे आया को गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया"

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी नगर व प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के निकट निर्देशन में अपराधों की रोकथाम एवं घटनाओं के सफल अनावरण के क्रम मे इलेक्ट्रानिक सर्विलांस व मैनुअल इनपुट व अन्य अभिसूचना संकलन के सहयोग से माननीय मुख्यमन्त्री जी का व्यवस्था अधिकारी/मीडिया प्रभारी बताकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक के सीयूजी पर फोन कर अनैतिक दबाब बनाकर अनुचित लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य से अपने आप को लोक सेवक के रुप मे प्रतिरुपित करने का अपराध कारित करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने मे सदर बाजार पुलिस व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम को बडी सफलता प्राप्त हुई |

संक्षिप्त विवरण - :

दिनांक 27.04.2025 को थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर पर निरीक्षक श्री अशोक कुमार (पी0आर0ओ0) श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र जिसमे उनके द्वारा संबधित मोबाईल न0 9454192868 के मोबाईल धारक नाम पता अज्ञात द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के सीयूजी मोबाइल न0 9454400306 पर कई बार धोखाधडी के उद्देश्य से अपने आप को माननीय मुख्यमन्त्री जी का व्यवस्था अधिकारी/मीडिया प्रभारी बताकर अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी पहचान छिपाते हुये ,लोक सेवक के कार्य मे बाधा डालना तथा स्वयं को लोक सेंवक बताना तथा लोक सेवक पर अनैतिक दबाव बनाकर अनुचित लाभ प्राप्त करने के संबंध मे अनुचित रुप से फोन करने संबधित अंकित तथ्यो के आधार पर थाना सदर बाजार शाहजहाँपुर पर **मु0अ0स0 238/2025 धारा 204/221/319(2)/318(4) बीएनएस** बनाम मोबाईल न0 9454192868 धारक नाम पता अज्ञात के विरुद्ध दिनांक 27.04.2025 को पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री वेदपाल सिह पुण्ढीर के सुपुर्द की गई जिनके द्वारा अभियोग की विवेचना सम्पादित करते हुये विवेचना के मध्य मैनुअल इनपुट ,इलेक्ट्रानिक सर्विलांस व स्थानीय स्तर पर गई अभिसूचना संकलन व अन्य गोपनीय व स्थानीय जानकारी से उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर मुकदमा उपरोक्त से संबधित घटना कारित करने मे **अभियुक्त राहुल भारती पुत्र स्व हरिबक्श निवासी ग्राम अमईयापुर पूर्वी थाना अमृतपुर जिला फर्रुखाबाद(फतेहगढ) का नाम प्रकाश मे आया** जिसको आज **दिनांक 28.04.2025 को समय 10.35 स्थान पी0डब्लूयडी0 कार्यालय के पास रेलवे पुल के नीचे थाना सदर बाजार क्षेत्र** से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से कूटरचित पहचान पत्र,विजिटिंग कार्ड व दो अदद मोबाइल फोन व सिम बरामद होने पर अभियोग उपरोक्त मे 338/336(3)/340(2) बीएनएस की वृद्धि कर राहुल भारती उपरोक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

राहुल भारती पुत्र स्व हरिबक्श निवासी ग्राम अमईयापुर पूर्वी थाना अमृतपुर जिला फर्रुखाबाद(फतेहगढ)

गिरफ्तारी स्थान व समय :-

पी0डब्लूयडी0 कार्यालय के पास रेलवे पुल के नीचे थाना सदर बाजार क्षेत्र से समय करीब 10.35 बजे दिनांक 28.04.25

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 238/2025 धारा 204/221/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस. थाना सदर बाजार शाहजहाँपुर।
2. मु0अ0स0 551/2022 धारा 366/376(डी) भा.द.वि थाना कोतवाली जनपद ,शाहजहाँपुर।

बरामदगी:-

1. दो अदद मोबाईल(एक एन्ड्रायड फोन पोको कम्पनी का व एक कीपैड फोन)
2. एक अदद पहचान पत्र फोटो युक्त जिस पर उत्तर प्रदेश शासन नाम मनोज मिश्रा व्यवस्था अधिकारी माननीय मुख्यमन्त्री उत्तर प्रदेश आईडी न0 CXW115 MOB NO 9454192868 अंकित है
3. 06 अदद विजिटिंग कार्ड फोटो युक्त जिस पर उत्तर प्रदेश शासन व्यवस्था अधिकारी मनोज कुमार मिश्रा
4. एक अदद पहचान पत्र फोटो युक्त की छायाप्रति जिस पर R-STAR/NEWS LIVE राहुल भारती के नाम से
5. एक अदद आधार कार्ड फोटोयुक्त की छायाप्रति राहुल भारती के नाम से

गिरफ्तारी पूछताछ अभियुक्त:-

गिरफ्तार अभियुक्त राहुल भारती पुत्र स्व हरिबक्श निवासी ग्राम अमईयापुर पूर्वी थाना अमृतपुर जिला फर्रुखाबाद(फतेहगढ) ने पूछने पर बता रहा है कि मै R-STAR/NEWS LIVE का पत्रकार हूँ मै शारिरिक रुप से चर्म रोगी भी हूँ जिस कारण मेरा इलाज चलता रहता है मैने कक्षा -12 तक शिक्षा ग्रहण की है मैने पत्रकारिता के दौरान खबरो की कवरेज के जरिये मेरी मुलाकात अक्सर कुछ ऐसे लोगो से हो जाती है जो अपनी मदद के संबध मे कहते है तो मै उनको अपने बातो व झांसे मे लेकर कि तुम्हारी सिफारिस मै बडे अधिकारी कर दूँगा। इसके एवज मे मै उनसे कुछ धन भी प्राप्त कर लेता हूँ चूकि पढा लिखा होने के कारण तथा पेशे से पत्रकारिता करने की वजह से मुझे अधिकारियो से वार्ता करने मे कोई परेशानी नही होती है। इसके लिये मै लोगो के इसके अलावा माननीय मुख्यमन्त्री जी का व्यवस्था अधिकारी व मीडिया प्रभारी के रुप मे भी अपना परिचय मनोज मिश्रा के रुप मे देता हूँ इसके लिये मैने स्वय अपना फोटो लगाकर फर्जी आईडी/पहचान पत्र मनोज कुमार मिश्रा व्यवस्था अधिकारी/मीडिया प्रभारी माननीय मुख्यमन्त्री जी उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के नाम से बनाया हूँ जिस पर मेरी फोटो लगी हुयी है मैने कुछ विजिटिंग कार्ड भी मनोज कुमार मिश्रा व्यवस्था अधिकारी माननीय मुख्यमन्त्री जी के नाम से बनवा रखे है तथा R-STAR/NEWS LIVE का भी आईडी कार्ड बनवा रखा है मै आम जनता को अपने आप को माननीय मुख्यमन्त्री जी का व्यवस्था अधिकारी तथा मीडिया प्रभारी बताता हूँ एवं उनसे धोखाधडी से पैसा प्राप्त कर उनकी सिफारिस उच्चाधिकारीगणो को फोन करके उन्हे अनुचित लाभ देने की सिफारिस करता हूँ। अधिकारीगणो से सिफारिस करते समय मै अपने आप को माननीय मुख्यमन्त्री जी का व्यवस्था अधिकारी/मीडिया प्रभारी बताता हूँ । मै पहले भी थाना कोतवाली चौक से 366/376 डी भादवि मे जेल जा चुका हूँ।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. निरीक्षक अपराध श्री विनोद कुमार थाना सदर बाजार जिला शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 वेदपाल सिंह पुण्ढीर थाना सदर बाजार जिला शाहजहाँपुर
3. उ0नि0 राजेश कुमार थाना सदर बाजार जिला शाहजहाँपुर
4. का0 2222 हरप्रीत कुमार थाना सदर बाजार जिला शाहजहाँपुर

5. का0 2524 कवित शर्मा थाना सदर बाजार जिला शाहजहाँपुर

सर्विलांस सेल टीमः-

प्रभारी उ0नि0 श्री मनोज कुमार

का0 मुकुल खोखर